MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/30594 दिनांक 22 मार्च, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) का संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड़ प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं।

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राज0, जयपुर के आदेश क्रमांकः 6477 दिनांक 21/03/2020 द्वारा सम्पूर्ण राज्य में राजस्थान एवं अन्य राज्यो के समस्त सार्वजनिक वाहनो यथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज, स्टेट कैरिज बसो, ट्रेक्सी/कैब तथा ऑटो रिक्शा आदि के राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर दिनांक 31/03/2020 तक रोक लगायीं गयीं हैं।

अतः **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** में प्रदत्त शक्तियो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांकः एफ. 9(58)M&H/2/09/पार्ट दिनांक 12/03/2020 तथा परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राज0, जयपुर के आदेश के अनुकम में भीलवाड़ा जिले में समस्त सार्वजनिक वाहनो यथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कॉन्ट्रेक्ट कैरिज, स्टेट कैरिज बसो, ट्रेक्सी/कैब तथा ऑटो रिक्शा आदि के राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर दिनांक 31/03/2020 तक रोक लगायीं जाती हैं।

आपातकालीन स्थिति में संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला परिवहन अधिकारी आवश्यक होने पर उचित कारण स्पष्ट होने पर सार्वजनिक यात्री वाहनो के संचाजन की अनुमति प्रदान कर सकेगें। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट से समन्वय कर स्वास्थ्य केन्द्रो, रेलवे स्टेशन हेतु आवश्यकता अनुसार न्यूनतम ऑटो रिक्शा चिन्हित कर अनुमति प्रदान कर सकेगें।

आदेश की पालना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/जिला परिवहन अधिकारी का होगा। जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा जिले की प्रतिदिन की संकलित रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सायं 5.00 बजे तक अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को व्यक्तिशः प्रस्तुत करेगें।

21/3/2020

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. **मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर**
2. **अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर**
3. **परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर**

Scanned by CamScanner

4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
12. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा / शाहपुरा
13. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner